न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
208/2004	9.9.2004	30.07.2025

सेवाराम पुत्र मांगीलाल, महाजन (खण्डेलवाल) निवासी गंगापुर सिटी —वादी

बनाम

1. नन्दा पुत्र सांवलिया, खारवाल निवासी जियापुर तहसील गंगापुर सिटी
2. केदार पुत्र सांवलिया, खारवाल निवासी जियापुर तहसील गंगापुर सिटी

—प्रतिवादीगण

दावा बावत् स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री रामदयाल त्रिवेदी, एडवोकेट, वादी की ओर से
श्री हर्षवर्धन शर्मा, एडवोकेट, प्रतिवादीगण की ओर से

निर्णय

उपरोक्त उनवानी दावा वादी ने इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 70 रकबा 0.20 है0, ख0नं0 72 रकबा 1.40 है0 ग्राम जियापुर तहसील गंगापुर सिटी में स्थित है जिसको वादी लगातार काश्त करता चला आ रहा है। समस्त राजस्व अभिलेख में उक्त आराजियात का इन्द्राज वादी के हक में दर्ज है। उक्त आराजियात को वादी कभी मजदूरी पर और कभी बट पर काश्त करवा कर उक्त आराजियात से लाभ लेता रहा है। इस साल फसल उन्हालू में वादी ने मजदूरी पर सरसों की फसल काश्त करवाई है जो सरसब्ज खडी है। इस साल प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि को बट पर लेने को कहा, वादी ने उनसे मना कर दिया। प्रतिवादीगण इसी बात से सख्त नाराज हैं और वे वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की उक्त आराजी को वादी से छीनने पर आमादा हैं। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रतिवादीगण ने वादी को दिनांक 15.12.1991 को जब वह अपनी फसल संभालने गया तब एलानिया धमकी दी कि इस फसल को हम काटेंगे तथा आयन्दा इस भूमि को तुम्हें काश्त नहीं करने देंगे। प्रतिवादीगण सरगना व लठ्ठबाज हैं, प्रतिवादीगण का उक्त आराजी से किसी प्रकार का कोई वास्ता नहीं है ... के जोर से वादी की उक्त आराजियात को छीनने पर आमादा ... प्रतिवादीगण अपने उक्त उद्देश्य में सफल हो गये ... और वादी को अतुलनीय हानि होगी। प्रतिवादीगण अपनी ऐसी हरकतों से जब तक बाज नहीं आवेंगे तब तक कि उन्हें स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जावेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.11 18:39:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

इस कारण दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी को प्रतिवादीगण के खिलाफ वादकारण दिनांक 15.12.1991 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी को उक्त आराजियात के उपयोग उपभोग में बाधा पैदा करने से उत्पन्न हुआ, दावा अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वे वादी को आराजी खसरा नम्बर 70 रकबा 0.20 है0, खसरा नम्बर 72 रकबा 1.40 है0 ग्राम जियापुर तहसील गंगापुर सिटी के उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा पैदा नहीं करें न किसी अन्य से करावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया।

प्रतिवादीगण की ओर से जबाब दावा प्रस्तुत हुआ। जबाब दावे में प्रतिवादीगण ने अंकित किया है कि आराजी खसरा नम्बर 70 का साबिक खसरा नम्बर 39 रकबा 11 बीघा व आराजी खसरा नम्बर 72 का साबिक खसरा नम्बर 40/1 रकबा 1 बीघा 7 विस्वा व खसरा नम्बर 40/2 रकबा 4 बीघा 10 विस्वा है। उक्त विवादग्रस्त आराजियात प्रतिवादी नम्बर 1 नन्दा के कब्जे काश्त में असाढ सुदी 12 सम्बत् 2031 अर्थात दिनांक 1.7.74 से चली आ रही है क्योंकि उक्त विवादग्रस्त आराजियात को वादी ने प्रतिवादी नम्बर 1 नन्दा को असाढ सुदी 12 सम्बत् 2031 अर्थात दिनांक 1.7.74 को 3000/ रू0 नकद प्राप्त करके विक्रय कर दी और कब्जा प्रतिवादी नम्बर 1 नन्दा को करा दिया। उक्त सम्बन्ध में वादी ने उसी रोज प्रतिवादी नम्बर 1 नन्दा के हक में एक बयनामा 50 पैसे के स्टाम्प पर रूपसिंह खारवाल से तहरीर व तकमील कराकर स्वयं वादी सेवाराम ने अपने हस्ताक्षर कर दिए व गवाही हुसन खां, रामचन्द, जगनलाल, रूपसिंह खारवाल व मीठया खारवाल की करा दी। विवादग्रस्त आराजी योम तहरीर बयनामा से उत्तरदाता प्रतिवादी नम्बर 1 नन्दा के ही कब्जे काश्त में है और उसी ने उन्हालू में फसल सरसों काश्त की थी ओर उसी ने काटी थी। मौजूदा में प्रतिवादी नम्बर 1 नन्दा ने विवादग्रस्त आरजी में फसल सरसों काश्त की है। जबाब के विशेष विवरण में प्रतिवादीगण ने अंकित किया है कि वादी [illegible] गलत तथ्यों के साथ महज प्रतिवादीगण को परेशान [illegible] है। [illegible] यह है कि वादग्रस्त आराजियात प्रति[illegible] के कब्जे काश्त में असाढ सुदी 12 सम्वत् 2031 अर्थात दिनांक 1.7.74 से चली आ रही है क्योंकि उक्त विवादग्रस्त आराजियात को वादी ने प्रतिवादी नम्बर 1 नन्दा को असाढ सुदी

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.11 18:39:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

12 सम्बत् 2031 को 3000/—रू0 नकद प्राप्त करके विक्रय कर दी और प्रतिवादी नम्बर 1 नन्दा का कब्जा करा दिया। उक्त सम्बन्ध में वादी ने उसी रोज प्रतिवादी नम्बर 1 नन्दा के हक में एक बयनामा स्वयं वादी सेवाराम ने लिखकर रूपसिंह खारवाल से तहरीर व तकमील कराकर वादी ने अपने हस्ताक्षर कर दिए व गवाही हुसन खां, रामचन्द, जगनलाल, रूपसिंह खारवाल व मीठया खारवाल की करा दी। खरीद के समय से ही प्रतिवादी नम्बर 1 नन्दा का विवादग्रस्त आराजियात पर कब्जा चला आ रहा है। चूंकि प्रतिवादी नम्बर 1 नन्दा का विवादग्रस्त आराजियात पर कब्जा मुखालफाना की तारीफ में आता है जो जायद अज 12 साल है इसलिए प्रतिवादी नम्बर 1 नन्दा कानूनन उक्त विवादग्रस्त आराजियात का खातेदार हो गया है। जिसके कारण वादी का दावा चलने योग्य नहीं है और खारिज होने योग्य है। मालुम होता है वादी की नियत में खराबी आ गई है जिसके कारण उसने यह गलत दावा प्रतिवादीगण को परेशान करने के लिए कर दिया है। वादी का दावा दायरी के दिन विवादग्रस्त आराजियात पर कब्जा नहीं था बल्कि प्रतिवादी नम्बर 1 नन्दा का कब्जा था जिसके कारण भी मौजूदा दावा चलने योग्य नहीं है और खारिज होने योग्य है। अतः जबाब दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादी मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जबाब दावा का वादी की ओर से जबाबुल जबाब प्रस्तुत किया गया। इसमें वादी ने अंकित किया है कि प्रतिवादीगण का यह कथन गलत है कि भूमि मुतदाविया मिति असाढ सुदी 12 सं0 2031 मुताबिक तारीख 1.7.74 से प्रतिवादी नं0 1 नन्दा के कब्जे काश्त में हो और उसे वादी ने प्रतिवादी नन्दा को 3000/—रू0 में दिनांक 1.7.74 को विक्रय कर दी हो तथा कब्जा संभला दिया हो। प्रतिवादी का यह कथन भी असत्य है कि उक्त सम्बन्ध में वादी ने प्रतिवादी नन्दा के हक में एक बयनामा 50 पैसे के स्टाम्प पर तहरीर व तकमील कर अपने हस्ताक्षर किए हों व गवाही गवाहान करवा दी हो। वादी ने प्रतिवादी नन्दा को दि0 1.7.74 को या अन्य किसी भी समय विवादित भूमि नहीं बेची न कब्जा कराया, विवादित भूमि पर वादी का ही कब्जा है। प्रतिवादी नन्दा [illegible] विवादित भूमि पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। जबाबुल [illegible] वादी ने अंकित किया है कि वादी ने विवादि[illegible] 1.7.74 को या अन्य किसी भी समय प्रतिवादी संख्या 1 को विक्रय नहीं कि[illegible] न ही कोई राशि प्राप्त की, न ही प्रतिवादी संख्या 1 को कभी कब्जा संभलाया। इसके अलावा प्रतिवादी सं0

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.11 18:39:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

1 की ओर से प्रस्तुत तथाकथित विक्रय पत्र अनरजिस्टर्ड है इसलिए दाखिल शहादत भी नहीं है। वास्तविकता यह है कि वादी ने विवादित भूमि दिनांक 1.7.74 को ग्राम अलीगंज के खाजू खत्री के यहां 3000/–रू0 में रहन बिल कब्ज की थी व उसके पक्ष में रहननामा निष्पादन हेतु एक तहरीर अपने रखने के लिए वादी ने दो स्टाम्प नम्बरी 337/1 व 337/2 पचास–पचास पैसे के खरीदे थे, उनमें से एक पर रहननामा वादी ने अपनी कलम से लिखकर अपने हस्ताक्षर कर दिए तथा हुसैन खां, मीठया खारवाल, रामचन्द खारवाल, रूपसिंह खारवाल व जगनलाल की गवाही करा दी तथा दूसरे स्टाम्प पर वैसी ही लिखावट लिखकर उस पर खाजू खत्री की निशानी करवाली व उक्त तमाम गवाहों की गवाही करवादी। इस दूसरे स्टाम्प को वादी ने बतौर साक्ष्य अपने पास रख लिया। इस रहनशुदा विवादित भूमि को वादी ने उक्त खाजू खत्री से दिनांक 1.6.77 को 3000/–रू0 अदा कर वागुजास्त करा लिया और उससे जब वादी ने रहननामे का स्टाम्प मांगा तो उसने बताया कि वह कहीं गुम हो गया है, मिलने पर वापिस कर दूंगा इसलिए उसने एक रसीद सन्तोष कुमार गुप्ता से तहरीर करवा कर अपनी निशानी कर दी तथा अपने लडके अलीवक्श खत्री के हस्ताक्षर करवा लिए और उक्त रसीद खाजू खत्री ने वादी को दे दी तथा विवादित भूमि का कब्जा पुनः वादी को संभला दिया। तब से वादी विवादित भूमि को कभी बट पर कभी स्वयं मजदूरों द्वारा काश्त करता चला आ रहा है। ऐसा लगता है कि उक्त गुमशुदा रहननामे का स्टाम्प खाजू खत्री से गुम होने के बाद किसी तरह प्रतिवादी नं0 1 नन्दा के हाथ लग गया और उसने फर्जकारी करके उसे अपने नाम पर फर्जी तौर पर बनवा लिया, उसकी लिखावट में कई जगह परिवर्तन कर दिया। इस बाबत् वादी ने एक एफ0आई0आर0 अन्तर्गत धारा 467, 420, 471 आई0पी0सी0 प्रतिवादीगण व रूपसिंह के विरूद्ध दि0 3.1.93 को पुलिस थाना गंगापुर में की जिसमें प्रतिवादी नन्दा को पुलिस ने गिरफ्तार किया व उसके विरूद्ध न्यायालय में चार्जशीट पेश की जो अब न्यायालय में विचाराधीन है। प्रतिवादी नन्दा का विवादित भूमि पर कभी कब्जा ही नहीं रहा है तो फिर कब्जा मुखालफाना की मीयाद में आने का प्रश्न ही नहीं उठता और न ही प्रतिवादी नं0 1 के खातेदार होने का कोई सवाल उठता है। दावे के दिन व उससे पूर्व विवादित भूमि पर वादी का ही कब्जा था और अब भी वादी का ही कब्जा काश्त है। वादी ने प्रस्तुत वाद दिनांक 4.2.92 को अदालत में प्रस्तुत कर दिया था उसके बाद इसी विवादित भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.11 18:39:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

के बारे में प्रतिवादीगण ने दिनांक 12.10.92 को एक दावा प्रस्तुत किया है, दोनों दावो में विवादित विन्दु समान है। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा पेश किया गया यह दावा चलने योग्य नहीं है। अतः जवाबुल जवाब पेश कर निवेदन है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावे।

दावा एवं जवाब दावा के आधार पर दिनांक 12.2.1997 को निम्न तनकी कायम की गई:–

1. आया भूमि ख0नं0 70/0.20, 72/1.40 ग्राम जियापुर वादी की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है। —वादी

2. आया दि0 15.12.91 को प्रतिवादीगण ने वादी को उपरोक्त भूमि की काश्त नहीं करने देने की धमकी दी फलस्वरूप वादी को वादकारण उत्पन्न हुआ । —वादी

3. आया वादी प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है। —वादी

4. आया भूमि हाल ख0नं0 70, 72 के साबिक ख0नं0 क्रमशः 39 रकबा 11 बीघा व 40/1 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, 40/2 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा थे। —प्रतिवादीगण

5. आया विवादित भूमि को प्रतिवादीगण ने असाढ सुदी 12 सं0 2031 (दि0 1.7.74) को वादी से क्रय कर लिया था एवं भूमि प्रतिवादीगण के कब्जे में चली आ रही है। —प्रतिवादीगण

6. आया विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण का 12 वर्ष से अधिक समय से कब्जा होने के कारण प्रतिवादी नन्दा भूमि का खातेदार हो गया है। —प्रतिवादीगण

7. अनुतोष ।

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
154/2000	20.7.2000	30.07.2025

1. नन्दा पुत्र सांवलिया, खारवाल निवासी जियापुर तहसील गंगापुर सिटी
2. केदार पुत्र सांवलिया, खारवाल निवासी [illegible] तहसील गंगापुर सिटी —वादीगण

बनाम

1. सेवाराम दत्तक पुत्र मांगीलाल, महाजन [illegible] खंडेलवाल निवासी गंगापुर सिटी
2. तहसीलदार लैण्ड होल्डर तहसील गंगापुर सिटी —प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.11 18:39:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

दावा घोषणां व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री हर्षवर्धन शर्मा, एडवोकेट, वादीगण की ओर से
श्री रामदयाल त्रिवेदी, एडवोकेट, प्रतिवादी सं0 1 की ओर से

निर्णय

वादीगण ने वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम जियापुर तहसील गंगापुर सिटी में भूमि हाल ख0नं0 70 रकबा 0.20 है0, 72 रकबा 1.40 है0 कुल 1.60 है0 स्थित है जिसका साबिक ख0नं0 40/1, 40/2 व 39 कुल रकबा 6 बीघा 8 विस्वा था। मूल रूप से उपरोक्त भूमि वादीगण के पिता सांवलिया के भाई रामचन्द्र पुत्र दूण्डा की खातेदारी की थी जिसको रामचन्द्र ने प्रतिवादी सेवाराम को बेच दिया था। प्रतिवादी सेवाराम ने उक्त भूमि मिती असाढ सुदी 12 सं0 2031 तदनुसार दिनांक 1.7.74 को 3000/— रूपये में वादी नन्दा को बेचकर कब्जा करा दिया था। इस बेचान की एक लिखावट प्रतिवादी ने 50 नये पैसे के स्टाम्प पर रूपसिंह खारवाल से लिखवा कर स्वयं सेवाराम ने अपनी कलमी लिखकर हस्ताक्षर कर दिए व हुसैन खां मेम्बर व रामचन्द्र की निशानी करा दी व मीठ्या खारवाल, रूपसिंह खारवाल, जगन्नाथ के हस्ताक्षर बतौर गवाही करा दिए । स्टाम्प प्रस्तुत किया जाता है। दिनांक 1.7.74 से लगातार वादी इस भूमि पर काबिज रहकर अपने भाई केदार वादी के साथ काश्त करता चला आ रहा है। अभी तक राज के कागजात में जमाबंदी में खातेदार के नाते प्रतिवादी का नाम दर्ज है परन्तु कब्जा लगातार वादी का है। जमीन की कीमतें बढ रही है। प्रतिवादी गंगापुर में दुकान करता है। पिछले लगभग 18 वर्ष से उक्त भूमि पर प्रतिवादी का कभी कब्जा नहीं रहा न उसने काश्त किया परन्तु अब वह झगडा करने को उतारू है। स्यालू हाल में वादी ने भूमि मुतदाविया में तिल्ली काश्त की है परन्तु अधिक वर्षा होने के कारण फसल गल गई व वादीगण ने जोत लगा कर सरसों काश्त कर दी है। प्रतिवादी ने कुछ असामाजिक तत्वों को साथ लेकर दि0 9.10.92 को वादी को धमकी देकर कहा कि तुम्हें काश्त कर लाभ नहीं उठाने देंगे व अब हम इस जमीन को दूसरे व्यक्ति को बेचकर रजिस्ट्री करा देंगे। वादी ने प्रतिवादी से कहा कि [illegible]ह जमीन आपसे 18 साल पूर्व 3000/— रूपए देकर [illegible] आम लगातार बिना किसी बाधा के हमारा कब्जा [illegible] भूमि [illegible]दाविया पर वादी का कब्जा दिनांक 1.7.74 से लगातार खुले आम बिना प्रतिवादी के किसी विरोध के चला आ रहा है। वयनामा 50 नये पैसे के स्टाम्प पर लिखा हुआ है व

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.11 18:39:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

अनरजिस्टर्ड है परन्तु कानून के अनुसार 12 वर्ष बीतने पर प्रतिवादी के कोई अधिकार वादी से वापस भूमि मुतदाविया का कब्जा प्राप्त करने के शेष नहीं रहे हैं व वादी का खातेदारी का अधिकार परिपक्व पक्का हो गया है। वादी का विवादग्रस्त आराजियात पर उपरोक्तानुसार कब्जा दिनांक 1.7.74 से लगातार चला आ रहा है। इस कारण वादी बतौर मालिक काश्तकार व इल्म प्रतिवादी खुले आम विवादग्रस्त आराजी पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। इस प्रकार वादी का भूमि विवादग्रस्त पर कब्जा मुखालिफाना की तारीफ में आता है जो जायद अज 12 साल है इसलिए वादी कानूनन विवादग्रस्त आराजियात का खातेदार हो गया है। वादीगण का ताऊ रामचन्द्र भी वादीगण के साथ काश्त करता था। विवादकारण दिनांक 1.7.74 को बयनामे से व कब्जा पर व दिनांक 9.10.92 को बाधा डालने से विरूद्ध प्रतिवादी उत्पन्न हुआ। अतः दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर घोषणां इस आशय की प्रदान की जावे कि वादी को भूमि ख0नं0 70 रकबा 0.20 है0, 72 रकबा 1.40 है0 स्थित ग्राम जियापुर तहसील गंगापुर सिटी पर खातेदारी के अधिकार प्राप्त हो गए हैं व प्रतिवादी के अधिकार समाप्त हो गए हैं व वादी खातेदार के नामे भूमि मुतदाविया पर काबिज रहने व रेवेन्यू रिकार्ड में तदनुसार इन्द्राज दुरूस्ती कराने का अधिकारी है। प्रतिवादी सं0 1 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह वादीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में बाधा न डालें न ऐसा कोई कार्य करें जिससे बाधा उत्पन्न हो। प्रतिवादी को भूमि मुतदाविया को स्थानान्तरित न करने के लिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

इस वाद के जबाब में प्रतिवादी नं0 1 ने अंकित किया है कि प्रतिवादी ने वादी को अपनी जमीन कभी भी नहीं बेची। वादी का इस भूमि से कोई सम्बन्ध व वास्ता नहीं रहा है। प्रतिवादी ने रामचन्द से उक्त भूमि दिनांक 15.6.67 को जरिए रजिस्टर्ड बयनामा खरीद की थी तब से प्रतिवादी ही इस भूमि का काबिज काश्तकार खातेदार टीनेन्ट है। प्रतिवादी ने मिती असाढ सुदी 12 सं0 2031 दिनांक 1.7.74 को उक्त भूमि 3000/–रू0 में खाजू खत्री बंजारा निवासी अलीगंज के यहां [illegible] बिल कब्ज की थी जिसका इकरारनामा लिखने के लिए वादी ने [illegible] के दो स्टाम्प खरीदे । एक स्टाम्प पर इकरारनामा बाबत रहननामा [illegible] प्रतिवादी ने लिखकर खाजू खत्री को दे दिया तथा दूसरे स्टाम्प पर [illegible]सी तरह की तहरीर कर खाजू खत्री की निशानी करवा ली तथा हर दोनों स्टाम्प पर गवाही गवाहान हुसैन

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.11 18:39:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

खां मेम्बर, रामचन्द्र खारवाल ने अपनी निशानी कर दी तथा मीठ्या, रूपसिंह खारवाल, जगन्नाथ के हस्ताक्षर कर दिए। इस भूमि को प्रतिवादी ने दिनांक 1.6.77 को उक्त श्री खाजू खत्री को 3000/–रू0 देकर वागुजास्त करवा लिया। खाजू खत्री से प्रतिवादी ने एक्त वागुजास्तगी रहन स्टाम्प रहननामा मांगा तो खाजू खत्री ने जाहिर किया कि वह स्टाम्प कहीं इधर उधर हो गया है, मिलने पर वापिस कर दूंगा। चुनांचे प्रतिवादी ने 3000/–रू0 अदायगी व रहन वागुजास्तगी की एक रसीद अलग से बनवाकर देने के लिए खाजू खत्री से कहा तो उसने एक रसीद इस बाबत् संतोष महाजन गंगापुर वाले से लिखवा कर उस पर अपनी निशानी अंगुस्त चस्पा कर अपने बेटे अलीबक्स खत्री के दस्तखत करवा कर प्रतिवादी को दे दी तथा कब्जा भूमि पर प्रतिवादी का हो गया। एक दो बार प्रतिवादी ने उक्त खाजू खत्री से स्टाम्प मांगा तो उसने कहा कि स्टाम्प नहीं मिला। ऐसा लगता है कि वह स्टाम्प खाजू खत्री से कहीं गुम हो गया तथा वह वादी के हाथ पड गया। प्रतिवादी ने वादी का पेशकरदा फोटो स्टाम्प तथा अपने पास रखा स्टाम्प मिलाकर देखा तो उसे ज्ञात हुआ कि वादी ने उस हाथ लगे स्टाम्प पर फर्जी तौर पर चालाकी से रद्दोबदल कर उसे अपने पक्ष में वयनामा का रूप दे दिया है और फर्जी दस्तावेज तैयार कर लिया है। प्रतिवादी ने वादी को कोई भूमि नहीं बेची न कोई वयनामा तहरीर करवाया न रूपए लिए। प्रतिवादी इस भूमि को कभी स्वयं तथा कभी बांटे पर काश्त करवाता है। उसने इस भूमि को रामचन्द्र खारवाल से भी 1–2 साल बांटे पर काश्त करवाया है। वादी का इस भूमि से कोई सम्बन्ध व वास्ता नहीं है। कब्जा काश्त व खातेदारी लगातार प्रतिवादी की है। जबाब के विशेष विवरण में प्रतिवादी ने अंकित किया है कि वादी जाति से खारवाल है, ग्राम जियापुर में ज्यादा आबादी खारवालों की है। प्रतिवादी अकेला है। उसकी इस असमर्थता का बेजा फायदा उठाने के लिए व खाजू खत्री का गुमशुदा स्टाम्प इनको मिल जाने व उसमें फर्जियत करके यह दावा पेश कर दिया जो काबिज खारिज है। प्रतिवादी ने रामचन्द्र खारवाल से यह भूमि जरिए रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 15.6.67 को खरीदी थी। इस भूमि के [illegible] बाद रामचन्द्र ने दिनांक 12.7.73 को वादी से इस भूमि [illegible] तो वादी ने दावा स्थाई निषेधाज्ञा उसके व [illegible] गोरया, रामचन्द्र व मीठ्या के खिलाफ किया जिसमें रामचन्द्र ने प्रार्थी [illegible]राम से राजीनामा दि0 12.7.74 को कर लिया तथा भूमि से अपना कोई सम्बन्ध न होना जाहिर किया। इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.11 18:39:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

प्रकार यह भूमि तन्हा प्रतिवादी की है अन्य किसी व्यक्ति का कोई सम्बन्ध व वास्ता नहीं है। दिनांक 15.12.91 को वादी नंदा ने इस भूमि के उपयोग व उपभोग में बाधा डालने की चेष्टा की तो प्रतिवादी सेवाराम ने एक दावा उनवानी सेवाराम बनाम नंदा एस0डी0ओ0 कोर्ट में पेश किया, दावे के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया उसमें नंदा वगैरा को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 4.2.92 को पाबंद करने का आदेश पारित कर दिया। यह मुकदमा भी चल रहा है। ऐसी सूरत में दावा वादी उनवानी नंदा बनाम सेवाराम सबज्यूडिस होने के कारण चलने योग्य नहीं है। अतः जबाब दावा पेश कर अर्ज है कि दावा वादी मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वादीगण का यह दावा दिनांक 16.4.2007 को उभयपक्ष की सहमति से दावा उनवानी सेवाराम बनाम नन्दा वगैरा के साथ हमफीता किया गया एवं इन दोनों दावो में एक साथ सुनवाई का निर्णय लिया गया।

दावा संख्या 208/2004 उनवानी सेवाराम बनाम नन्दा वगैरा, दावा संख्या 154/2000 उनवानी नन्दा वगैरा बनाम सेवाराम वगैरा को कन्सोलीडेट किए जाने के कारण उपरोक्त दोनों दावो में दिनांक 22.10.2007 को निम्न तनकी कायम की गई:–

1. आया भूमि ख0नं0 70, 72 ग्राम जियापुर वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। —वादी

2. आया दि0 15.12.91 को प्रतिवादीगण ने वादी को उपरोक्त भूमि काश्त नहीं करने देने की धमकी दी फलस्वरूप वादी प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है। —वादी

3. आया भूमि हाल ख0नं0 70, 72 के साबिक ख0नं0 क्रमशः 39 रकबा 11 बीघा व 40/1 रकबा 1 बीघा 7 विस्वा व 40/2 रकबा 4 बीघा 10 विस्वा रहे हैं। —प्रति0

4. आया विवादित भूमि को प्रतिवादी नन्दा ने मिती असाढ सुदी 12 सं0 2031 (दि0 1.7.74) को वादी से क्रय कर लिया था एवं दि0 1.7.74 से ही भूमि पर कब्जा प्रतिवादी का चला आ रहा है। —प्रति0

5. आया प्रतिवादी नंदा का विवादित [illegible] 12 वर्ष से अधिक समय से कब्जा चला आ रहा है फ[illegible] के आधार पर प्रतिवादी नंदा भूमि की खातेदारी अप[illegible] वादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है। —प्रति0

6. अनुतोष ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.11 18:39:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

वादपत्र के समर्थन में वादी ने नकल जमाबंदी सं0 2047 से 2050 प्रदर्श–1, नकल खसरा गिरदावरी सं0 2047–2048 प्रदर्श–2, नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श–3, असल प्रवेश पत्र पुस्तक संख्या 168 क्रमांक 5 दि0 12.4.2005 प्रदर्श–4, असल विक्रय पर्ची दिनांक 13.4.2005 प्रदर्श–5, नकल निर्णय दिनांक 22.7.74 न्यायालय उप जिलाकलक्टर गंगापुर सिटी मुकदमा नम्बर 129/73 प्रदर्श–6, नकल जबाब दावा प्रतिवादी रामचन्द्र मुकदमा नम्बर 129/73 उनवानी सेवाराम बनाम रामचन्द्र वगैरा न्यायालय उप जिलाकलक्टर गंगापुर सिटी प्रदर्श–7, इस दावे में हुए राजीनामा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श–8, दावा उनवानी सेवाराम बनाम रामचन्द्र के दावा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श–9, नकल आर्डरशीट दिनांक 13.2.74 न्यायालय उप जिलाकलक्टर गंगापुर सिटी मुकदमा उनवानी सेवाराम बनाम रामचन्द्र प्रदर्श–10, लगान की रसीद प्रदर्श–11, प्रमाणित प्रति फर्द मौका जियापुर दिनांक 5.10.91 बाबत् खसरा नम्बर 70, 72 प्रदर्श–12, प्रमाणित प्रतिलिपि एफ0आई0आर0 नम्बर 6/92 प्रदर्श–13, प्रमाणित प्रति आदेश मुकदमा उनवानी सेवाराम बनाम नन्दा अन्तर्गत धारा 107,116(3) जा0फौ0 प्रदर्श–14, असल रहननामा मिती अषाढ सुदी 12 सं0 2031 दिनांक 1.7.74 प्रदर्श–16, खाजू खत्री द्वारा दी गई रसीद प्रदर्श–17, असल इकरारनामा दि0 6.7.1992 प्रदर्श–18, असल रिपोर्ट फार्म–एच क्रमांक 8020 दिनांक 9.6.14 कार्यालय निदेशक, स्टेट फोरेन्सिक साइन्स लेबोरेटरी जयपुर प्रदर्श–19, प्रदर्श–20 प्रस्तुत किए हैं एवं बयान वादी सेवाराम पी0डब्लू0 1 कराए हैं। इनके अतिरिक्त छायाप्रति चैक संख्या 470495 दिनांक 25.4.2005 सवाईमाधोपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0 जो गंगापुर क्रय–विक्रय सहकारी समिति लि0 गंगापुर सिटी द्वारा सेवाराम/मांगीलाल के नाम जारी किया गया है, फोटोकोपी नकल खसरा गिरदावरी सं0 2061 बाबत् विवादित आराजी जो सरसों विक्रय हेतु दिनांक 5.4.2004 को जारी की गई है, भी प्रस्तुत की है।

प्रतिवादीगण की ओर से अपने जबाब के समर्थन में असल विक्रय पत्र दिनांक 1.7.1974 प्रदर्श–डी–1 (जिस पर प्रदर्श–1 भी अंकित है), असल पासबुक प्रदर्श डी–2, फसल मंडी में [illegible] पर्ची प्रदर्श डी–3 प्रस्तुत की है एवं बयान प्रतिवादी नन्दा डी0डब्लू0 1 [illegible] प्रहलाद शर्मा डी0 डब्लू0–2 कराए हैं। इसके अतिरिक्त [illegible] 18.7.2025 को प्रार्थना पत्र के साथ नकल जमाबंदी सं0 2047 से 20[illegible] नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल खसरा गिरदावरी सं0 2029 से 2032 भी प्रस्तुत किए हैं।

उप जिला कलेक्टर एवं [illegible]
सत्यमेव जयते
गंगापुर सिटी [illegible] (करौली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.11 18:39:43 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

बहस विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष सुनी गई।

वादीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपने वादपत्र के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि वादग्रस्त भूमि वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। वादी को भूमि की काश्त में प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 15.12.91 को बाधा उत्पन्न करने पर वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध काज आफ एक्शन उत्पन्न हुआ जिस पर वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 4.2.1992 को हस्तगत वाद प्रस्तुत किया । वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से वादी का वाद प्रमाणित है इसलिए वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कहा कि मिती आषाढ सुदी 12 सं0 2031 दिनांक 1.7.74 को वादी ने वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 नन्दा को 3000/–रू0 में विक्रय कर दी जिसका विक्रय पत्र प्रदर्श–1 (प्रदर्श डी–1) है। यह वादी का खुदकलमी है। भूमि की असल पासबुक प्रतिवादी नन्दा के पास है जो प्रदर्श डी–2 है। लगान प्रतिवादी नन्दा ही देता आ रहा है जिसकी लगान की रसीदें भी प्रतिवादी ने प्रस्तुत की है। सम्बत् 2032–33 की खसरा गिरदावरी भी प्रतिवादी नंदा के नाम है। वादी ने कभी जमीन को काश्त नहीं किया है जो उसने अपने बयानो में जिरह के दौरान स्वीकार किया है। दावा प्रस्तुत करने के दिन वादी का भूमि पर कब्जा नहीं था। वादी ने स्थाई निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत किया है जिसके प्रस्तुत करने की मियाद 3 वर्ष है। भूमि पर प्रतिवादी का निरन्तर कब्जा है इसलिए प्रतिवादी को भूमि से बेदखल करवाने की मियाद भी 12 साल ही है। इस प्रकार वादी वर्ष 1986 तक ही दावा ला सकता था। वादी ने दावा मियाद बाहर प्रस्तुत किया है। वादी ने अन्य लोगों के विरूद्ध प्रस्तुत किए गए दावे व उसके निर्णय के सम्बन्ध में जो दस्तावेज प्रदर्श–6 से प्रदर्श–10 प्रस्तुत किए हैं उनमें नन्दा वगैरा पक्षकार नहीं हैं। दस्तावेज प्रदर्श–1 (प्रदर्श डी–1) की जो एफ0एस0एल0 रिपोर्ट आई है उसमें इस दस्तावेज को फर्जी नहीं माना है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि पर वादी का दावा प्रमाणित नहीं होता है इसलिए वादी का दावा खारिज फरमाया जावे। वादी के विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में न्याय दृष्टान्त 2013 डी0एन0जे0(राज0) पृष्ठ 197 प्रस्तुत किया।

रिबटल में वादी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कहा कि वादग्रस्त भूमि पर दावा दायरी के दिन वादी का ही कब्जा था। वादी अपनी भूमि को समय समय पर विभिन्न लोगों से काश्त करवाता रहा है। दस्तावेज

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.11 18:39:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

प्रदर्श–1 (प्रदर्श डी–1) की एफ0एस0एल0 रिपोर्ट प्रदर्श–20 में दर्शाया गया है कि इस दस्तावेज में इरेजर का इस्तेमाल कर पुनः नीली स्याही से लिखा गया है। इस प्रकार प्रतिवादी नन्दा ने फर्जी तरीके से यह दस्तावेज तैयार किया है। वास्तव में यह भूमि दिनांक 1.7.74 को ग्राम अलीगंज के खाजू खत्री के यहां 3000/–रू0 में रहन बिल कब्ज की थी व उसके पक्ष में यह रहननामा लिखा था जो किसी गलत तरीके से प्रतिवादी ने हथिया लिया व इस रहननामे में लिखी गई इबारत को इरेजर का इस्तेमाल कर मिटाकर उस पर भूमि विक्रय सम्बन्धी अंकन किया है यह बात एफ0एस0एल0 रिपोर्ट में भी दर्शाई गई है। अतः वादी का वाद डिक्री किए जाने योग्य है। अपने कथनों के समर्थन में वादी के विद्वान अभिभाषक ने न्याय दृष्टान्त आर0बी0जे0 (18) 2011 पृष्ठ 387 प्रस्तुत किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख, प्रस्तुत न्याय दृष्टान्तों का अध्ययन किया गया। तनकीवाइज निर्णय निम्नानुसार हैः–

<u>तनकी नं0 1:–</u> आया भूमि ख0नं0 70, 72 ग्राम जियापुर वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। —वादी

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार वादी पर था। इस तनकी को प्रमाणित करने के लिए वादी की ओर से नकल जमाबंदी सं0 2047 से 2050 प्रदर्श–2, नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श–3 प्रस्तुत किए गए हैं। इन दस्तावेजों के अवलोकन से विदित है कि भूमि ख0नं0 70, 72 वादी सेवाराम की खातेदारी में दर्ज है। अतः अभिलेख से प्रमाणित होने के कारण यह तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

<u>तनकी नं0 2 :–</u> आया दि0 15.12.91 को प्रतिवादीगण ने वादी को उपरोक्त भूमि काश्त नहीं करने देने की धमकी दी फलस्वरूप वादी प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है। —वादी

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार वादी पर था। वादी की ओर से नकल जमाबंदी सं0 2047 से 2050 प्रदर्श–2, नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श–3 के अनुसार वादग्रस्त भूमि की खातेदारी वादी के नाम दर्ज है। प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत नकल खसरा गिरदावरी ... भूमि की खातेदारी वादी के नाम दर्ज है। प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त भूमि ... दस्तावेज बेचानामा प्रदर्श 1 (डी–1) के आधार पर वादग्रस्त भूमि वादी ने प्रतिवादी नंदा को तीन हजार रूपय मे मिती आषाढ सुदी 12 संवत 2031 दिनांक 1.7.74 को विक्रय करना बताया है परन्तु एफ.एस.एल. जॉच रिपोर्ट प्रदर्श 19, प्रदर्श 20 के अनुसार इस दस्तावेज मे कई स्थानों पर इरेजिंग करके रिराईटिंग की गई है जो इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.11 18:39:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

दस्तावेज की विश्वसनीयता को संदिग्ध बनाती है। वादग्रस्त भूमि के पूर्व खातेदार रामचंद खारवाल से वादी ने भूमि 15.6.67 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की है एवं इसके आधार पर वादी के नाम भूमि खातेदारी मे दर्ज हुई है। विक्रयकर्ता रामचन्द खारवाल द्वारा व इसके साथ अन्य लोगो द्वारा वादी को भूमि की काश्त मे बाधा उत्पन्न करने पर इनके विरूद्ध वादी ने इस न्यायालय में दावा संख्या 129/73 उनवानी सेवाराम बनाम रामचंद वगैरा प्रस्तुत किया था। जिसकी नकल प्रदर्श 1 है। इसके जबाब मे प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ने वादग्रस्त भूमि ख0न0 39, 40/1, 40/2 ग्राम जियापुर से उनका कोई सम्बन्ध नही होना अंकित किया है। साथ ही जबाब मे यह अकित किया है कि वे भविष्य मे भी वादी को कब्जे काश्त मे बाधा उत्पन्न नही करेगें। इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श 7 है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 रामचन्द व मीठया तथा वादी के मध्य दिनांक 22.7.74 को उपरोक्त वर्णित दावे मे राजीनामा हुआ है। जिसमे प्रतिवादी रामचन्द व मीठया ने इस भूमि मे वादी को कोई बाधा उत्पन्न नही करने का कथन किया है। इसकी नकल प्रदर्श 8 है। इन दस्तावेजों से यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि वादी की जरिए रजिस्टर्ड दस्तावेज खरीदशुदा भूमि है एवं भूमि खरीद की दिनांक 15.6.67 से वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा चला आ रहा है। हालाकि प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त भूमि पर अपना कब्जा होना बताया है परन्तु प्रतिवादीगण का कब्जा किसी भी विधिक दस्तावेज से प्रमाणित नही हुआ है जबकि वादी वादग्रस्त भूमि का निरन्तर खातेदार चला आ रहा है। खातेदार को उसकी खाते की भूमि मे बाधा उत्पन्न करने का प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नही है। फलस्वरूप यह तनकी वादी के पक्ष मे प्रमाणित होने के कारण वादी के पक्ष मे निर्णित की जाती है।

<u>तनकी नं0 3 :—</u> आया भूमि हाल ख0नं0 70, 72 के साबिक ख0नं0 क्रमशः 39 रकबा 11 बीघा व 40/1 रकबा 1 बीघा 7 विस्वा व 40/2 रकबा 4 बीघा 10 विस्वा रहे हैं। —प्रति0

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण ने साबिक ख0न0 39, 40/1, 40/2 की कोई जमाबंदी प्रस्तुत नही की है परन्तु वादी की ओर से प्रस्तुत प्रदर्श 9 नकल दावा उनवानी सेवाराम बनाम रामचन्द्र वगैरा न्यायालय उप जिला कलक्टर, गंगापुर सिटी निर्णय दिनांक 22.7.74 के अनुसार साबिक ख0न0 39, 40/1, 40/2 रामचन्द की खातेदारी के रहे है जिन्हे ... हजार मे दिनांक 15.6.67 को वादी सेवाराम द्वारा जरिए रजिस्टर्ड ... क्रय किया गया है। इन साबिक नम्बरों के नवीन ख0न0 70, 72 ... जो वादी सेवाराम की खातेदारी मे दर्ज है। इस प्रकार यह तनकी अभिलेख से प्रमाणित है एवं इसका निर्धारण दोनो ही पक्षों के पक्ष मे होता है क्योकि वादी सेवाराम ने भी इस बात का कोई विरोध नही किया है कि साबिक ख0न0 39, 40/1,

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.11 18:39:43 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर एवं ... गंगापुर सिटी (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

40/2 से नवीन ख0न0 70, 72 नही बने हो। इस प्रकार यह तनकी किसी एक पक्ष के पक्ष मे नही होकर उभयपक्ष के पक्ष मे जाती है एवं इसी अनुसार निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 4 :— आया विवादित्त भूमि को प्रतिवादी नन्दा ने मिती असाढ सुदी 12 सं0 2031 (दि0 1.7.74) को वादी से क्रय कर लिया था एवं दिनांक 1.7.74 से ही भूमि पर कब्जा प्रतिवादी का चला आ रहा है। —प्रति0

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण की ओर से इस सम्बन्ध में लिखावट मिती आषाढ सुदी 12 सं0 2031 दिनांक 1.7.74 प्रदर्श–1 (प्रदर्श–डी–1), असल पासवुक कृषि भूमि प्रदर्श डी–2, मंडी में फसल बेचने की पर्ची प्रदर्श डी–3 प्रस्तुत की है। इसके अलावा लगान की रसीदें भी प्रस्तुत की है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज लिखावट मिती आषाढ सुनी 12 सं0 2031 दिनांक 1.7.74 प्रदर्श–1 (प्रदर्श डी–1) के अवलोकन से विदित है कि इस लिखावट की शुरूआत में शब्द बेचानामा जो लिखा हुआ है वह ऐसा प्रतीत होता है कि इस शब्द को लिखने से पूर्व इसके नीचे जो शब्द लिखा गया था उसे मिटाया गया है एवं उसके ऊपर शब्द बेचानामा लिखा गया है। इसी प्रकार इस लिखावट की दूसरी पंक्ति में शब्द नंदा पुत्र सांवलिया खारवाल को पुनः लिखा गया है। इसके नीचे जो पहले लिखा गया था उसे मिटाया गया है। बेचानामा की लाईन नम्बर 3 मे अंकित शब्द हाल, जियापुर को भी पुनः लिखा गया है तथा इससे पूर्व लिखे शब्द को मिटाया गया है। इसी बेचानामा की लाईन नम्बर 9 मे शब्द बेचानामा, लाईन नम्बर 10 मे संभला दिया। लाईन नम्बर 10, 11, 14, 18 मे जो शब्द गोले मे लिये हुए है उनके अवलोकन से विदित है कि इन शब्दों के स्थान पर पूर्व मे जो शब्द लिखे गये थे उन्हे मिटाकर वर्तमान शब्दों को लिखा गया है। यही फाईडिंग एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्रदर्श 20 के पृष्ठ भाग पर दर्ज की गई है। इस प्रकार प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 1 (प्रदर्श डी1) को विश्वसनीय दस्तावेज नही माना जा सकता है। इस दस्तावेज की जो एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्रदर्श 19–20 मार्क की गई है। उनमे भी सम्बधित अधिकारी द्वारा इन लिखावटों को इरेज कर पुनः लिखना बताया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत पासबुक प्रदर्श डी–2 सेवाराम पुत्र मांगीलाल के नाम की है। इसलिए यह नही माना जा सकता है कि भूमि प्रतिवादीगण द्वारा खरीद कर ली गई हो एवं इसकी मूल पासबुक के आधार पर वे भूमि के कब्जाधारी खातेदार बन गये हो। प्रतिवादीगण ने दस्तावेज प्रदर्श डी–3 जो प्रस्तुत किया है वह विक्रय पची है जिसमे गोपालराम भौरीलाल फर्म को नंदा द्वारा फसल सरसो बेची गई है। यह उसकी विवादित खसरा नम्बरो की फसल ही इस विक्रय पर्ची से यह प्रमाणित नही होता है। प्रतिवादीगण द्वारा लगान की जो रसीद प्रस्तुत की है वह इस बात का प्रमाण नही है कि यह लगान की रसीद भूमि पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.11 18:39:43 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (राज0)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

प्रतिवादीगण का कब्जा प्रमाणित करती है। कब्जे के प्रमाण के रूप मे प्रतिवादीगण की ओर से नकल जमाबंदी संव 2047–50 जो प्रस्तुत की गई है उसमे भूमि की खातेदारी वादी सेवाराम के नाम दर्ज है। नकल खसरा गिरदावरी संवत 2029–32 जो प्रस्तुत की गई है उसमे संवत 2032 मे विवादित भूमि खातेदारी वादी सेवाराम के नाम दर्ज है परन्तु कॉलम संख्या 40 मे रामचंद पुत्र टुण्डा खारवाल का नाम दर्ज है। रामचन्द पुत्र टुण्डा खारवाल से वादी सेवाराम ने जरिए रजिस्टर्ड बयनाम दिनांक 15.6.67 को भूमि क्रय की है एवं भूमि के विक्रेता द्वारा वादी सेवाराम को भूमि की काश्त मे बाधा उत्पन्न करने पर वादी सेवाराम ने रामचन्द उसके पुत्र मीठया तथा रामधन व उसके पुत्र गौरया के विरूद्ध इस न्यायालय मे मुकदमा नम्बर 129/73 दावा स्थाई निषेधाज्ञा प्रदर्श 9, निर्णय दिनांक 22.7.74 प्रस्तुत किया था। जिसमे पक्षकारों के मध्य इस न्यायालय मे 22.7.74 को राजीनामा प्रदर्श 8 हुआ था तथा राजीनामे मे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने यह अंकित किया था कि वे वादी को भूमि ख0न0 39, 40/1, 40/2 के कब्जे मे किसी प्रकार की बाधा नही डालेगे। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत बेचानामा प्रदर्श 1 (प्रदर्श डी1) संदेहास्पद है एवं इसके आधार पर वादी की ओर से प्रतिवादी नंदा को वादग्रस्त भूमि का बेचान किसी भी प्रकार से नही माना जा सकता है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत यह दस्तोवज अनरजिस्टर्ड एवं अनस्टाम्प्ड है। जिसका कानून की नजर मे कोई आधार नही बनता है। जहॉ तक वादग्रस्त भूमि पर कब्जे का वादीगण का दावा है तो इस दस्तोवज के आधार पर, वादीगण की ओर से प्रस्तुत अन्य दस्तावेजो के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा किसी भी प्रकार से प्रमाणित नही होता है। इसके विपरित वादी की ओर से जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है उनमे वादी द्वारा रामचन्द खारवाल से भूमि खरीद के पश्चात ऐसा कोई विश्वसनीय दस्तावेज प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत नही किया गया है जिनसे यह प्रमाणित होता हो कि प्रतिवादीगण ने विधिमान्य दस्तावेज के आधार पर वादग्रस्त भूमि का वादी से विधिवत तरीके से कब्जा प्राप्त किया हो। अतः यह तनकी अभिलेख से प्रतिवादीगण के पक्ष मे प्रमाणित नही होकर वादी के पक्ष मे प्रमाणित है। फलस्वरूप यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.11 18:39:43 IST
Reason: SelfAttested

<u>तनकी नं0 5 :–</u> आया प्रतिवादी नंदा का [illegible] भूमि पर 12 वर्ष से अधिक समय से कब्जा चला आ र[illegible] के आधार पर प्रतिवादी नंदा भूमि की खाते[illegible] [illegible] कराने व वादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है। —प्रति0

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत बेचानामा प्रदर्श 1(डी–1) के सम्बन्ध मे तनकी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

संख्या 4 मे विस्तृत विवेचन किया जा चुका है। यह दस्तावेज विश्वसनीय नही है जो एफ.एस.एल जॉच रिपोर्ट प्रदर्श 20 से भी स्पष्ट है। इस दस्तावेज के आधार पर प्रतिवादी नंदा वादग्रस्त भूमि की खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी नही है। वैसे भी उपरोक्त दस्तावेज अनरजिस्टर्ड व अनस्टाम्प्ड है। जिसके आधार पर इस न्यायालय से वादी को कोई रिलीफ खातेदारी सम्बन्धी नही दी जा सकती है। जहॉ तक वादग्रस्त भूमि पर वादी का एडवर्स पजेशन अर्थात 12 वर्ष से निरन्तर कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार उत्पन्न होने का प्रश्न है। इस सम्बन्ध मे प्रतिवादीगण को यह प्रमाणित करना आवश्यक है कि उनका वादग्रस्त भूमि पर निर्विवाद रूप से एवं निरन्तर कब्जा चला आ रहा हो। वादी ने अपने वाद के समर्थन मे असल पास बुक व लगान की रसीदे प्रस्तुत की है। असल पास बुक मे खातेदार का नाम सेवाराम दर्ज है अर्थात भूमि वादी सेवाराम के नाम ही दर्ज है। लगान की रसीदे भी प्रस्तुत की है उनमे भूमि के लगान की राशि दर्ज है। यह लगान की रसीद किस खसरा नम्बर मे है स्पष्ट नही है। प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त भूमि के कब्जे के सम्बन्ध में नकल खसरा गिरदावरी संवत 2029–32 जो प्रस्तुत की है। उसमे भूमि की खातेदारी वादी सेवाराम के नाम दर्ज है। संवत 2032 की गिरदावरी के कालम संख्या 41 के विशेष विवरण मे रामचन्द पुत्र टुण्डा खारवाल का नाम दर्ज है। इस प्रकार इस खसरा गिरदावरी से वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा कोई काश्त करना प्रमाणित नही होता है। अतः यह तनकी अभिलेख से प्रमाणित नही होने के कारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 6 :– अनुतोष ।

तनकी संख्या 1 लगायत 2 वादी के पक्ष में निर्णित की गई है एवं तनकी नम्बर 3 उभयपक्ष के पक्ष मे तथा तनकी संख्या 4, 5 प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की गई है। उपरोक्त तनकियों मे किये गये विवेचन के अनुसार प्रतिवादीगण दस्तावेज बेचानामा प्रदर्श 1 (डी 1), मिती आषाढ सुदी 12 संवत 2031 दिनांक 1.7.1974 के आधार पर वादग्रस्त भूमि वादी द्वारा प्रतिवादी नंदा को बेचना बताकर अपना दावा लेकर आये है। यह दस्तावेज एफ.एस.एल. जॉच रिपोर्ट मे प्रमाणित नही पाया गया है एवं अविश्वसनीय है। इसके आधार पर प्रतिवादीगण किसी भी प्रकार की रिलीफ प्राप्त करने के अधिकारी नही है। जहॉ तक एडवर्स [illegible] के आधार पर भूमि की खातेदारी प्रतिवादीगण चाह रहे है तो [illegible] मे तनकी संख्या 5 किये गये विवेचन व निर्णय के अनुसार प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमि पर प्रमाणित नही होता है। अतः तनकीवाईज किये गये निर्णय व विवेचन के अनुसार वादी सेवाराम वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध मे अपना दावा डिक्री कराने का अधिकारी है तथा प्रतिवादीगण का दावा खारिज किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.11 18:39:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

सेवाराम बनाम नन्दा वगैरा, दावा
नन्दा वगैरा बनाम सेवाराम वगैरा, दावा

(17)

आदेश

अतः तनकीवाईज किये गये विवेचन एवं निर्णय के अनुसार वादी सेवाराम द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 208/2004 स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे भूमि हाल ख0नं0 70 रकबा 0.20 है0, ख0नं0 72 रकबा 1.40 है0 ग्राम जियापुर तहसील गंगापुर सिटी के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग मे वादी सेवाराम को किसी भी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करे न किसी अन्य से करावें। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा संख्या 154/2000 अभिलेख से प्रमाणित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2025 को सुनाया गया ।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट ... गंगापुर सिटी (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.11 18:39:43 IST
Reason: SelfAttested

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

Judi/Civil
Part IV-10

अज अदालत उप जिलाकलक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास बृजेन्द्र मीना, आर०ए०एस०

उनवान

सेवाराम पुत्र मांगीलाल, महाजन (खण्डेलवाल) निवासी गंगापुर सिटी —वादी

बनाम

1. नन्दा पुत्र सांवलिया, खारवाल निवासी जियापुर तहसील गंगापुर सिटी
2. केदार पुत्र सांवलिया, खारवाल निवासी जियापुर तहसील गंगापुर सिटी

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा

उनवान

1. नन्दा पुत्र सांवलिया, खारवाल निवासी जियापुर तहसील गंगापुर सिटी
2. केदार पुत्र सांवलिया, खारवाल निवासी जियापुर तहसील गंगापुर सिटी

—वादीगण

बनाम

1. सेवाराम दत्तक पुत्र मांगीलाल, महाजन खण्डेलवाल निवासी गंगापुर सिटी
2. तहसीलदार लैण्ड होल्डर तहसील गंगापुर सिटी —प्रतिवादीगण

दावा घोषणां व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. —208/2004
154/2000

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री रामदयाल त्रिवेदी, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री हर्षवर्धन शर्मा, एडवोकेट, मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व तनकीवाईज किये गये विवेचन एवं निर्णय के अनुसार वादी सेवाराम द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 208/2004 स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे भूमि हाल ख0नं0 70 रकबा 0.20 है0, ख0नं0 72 रकबा 1.40 है0 ग्राम जियापुर तहसील गंगापुर सिटी के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग मे वादी सेवाराम को किसी भी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करे न किसी अन्य से करावें। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा संख्या 154/2000 अभिलेख से प्रमाणित नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 30.07.20[illegible] को जारी किया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.08.11 18:39:43 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)